न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.)

प्रार्थी

मीठालाल पुत्र श्री नाथारामजी मेघवाल जाति मेघवाल निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल निवासी मोरली तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 01/2025

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुम्हार, प्रार्थी की ओर से।
(2) नायब तहसीलदार सिरोही, पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :– दिनांक 24.09.2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुम्हार की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि ग्राम मोरली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के वर्तमान खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 112 में खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वेरा आई हुई है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076–2079 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मौजा मोरली पटवार हल्का मोरली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही में खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 112 में खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वेरा दर्ज है, जबकि उक्त खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि में कभी भी कोई वेरा नहीं रहा है और ना ही कभी वेरा के रूप में प्रयोग हुआ है। केवल मात्र राजस्व अधिकारियों की त्रुटिवश उक्त खसरा की किस्म वेरा दर्ज की गई है, जबकि प्रार्थी उक्त खसरा संख्या 133 के रकबा 0.1052 हैक्टेयर में खेती के रूप में काश्त करते आ रहे है। इस कारण उक्त त्रुटि राजस्व विभाग के द्वारा हुई है और प्रार्थी उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाना चाहता है। यह कि प्रार्थी मौजा मोरली के खसरा संख्या 133 रकबा 0.1052 हैक्टेयर की किस्म वेरा के स्थान पर बारानी–द्वितीय दर्ज करवाना चाहता है, इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी व नक्शा की प्रति व अन्य सभी दस्तावेजात अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए है, जिसको प्रार्थना पत्र का अंग माना जाना न्यायसंगत है। अतः मौजा मोरली की उक्त

....पेज दो पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 112 में स्थित खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. वेरा के स्थान पर बारानी–II दर्ज करने का आदेश फरमावें।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नारायणलाल कुम्हार, अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मोरली, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के वर्तमान खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 112 में स्थित खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वेरा आई हुई है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076–2079 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मौजा मोरली पटवार हल्का मोरली भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही में खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 112 में खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वेरा दर्ज है, जबकि उक्त खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि में कभी भी कोई वेरा नहीं रहा है और ना ही कभी वेरा के रूप में प्रयोग हुआ है। केवल मात्र राजस्व अधिकारियों की त्रुटिवश उक्त खसरा की किस्म वेरा दर्ज की गई है, जबकि प्रार्थी उक्त खसरा संख्या 133 के रकबा 0.1052 हैक्टेयर में खेती के रूप में काश्त करते आ रहे है। इस कारण उक्त त्रुटि राजस्व विभाग के द्वारा हुई है और प्रार्थी उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाना चाहता है। यह कि प्रार्थी मौजा मोरली के खसरा संख्या 133 रकबा 0.1052 हैक्टेयर की किस्म वेरा के स्थान पर बारानी–द्वितीय दर्ज करवाना चाहता है, इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी व नक्शा की प्रति व अन्य सभी दस्तावेजात अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए है, जिससे प्रार्थना पत्र का अंग माना जाना न्यायसंगत है। अतः मौजा मोरली की उक्त विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 112 में स्थित खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. वेरा के स्थान पर बारानी–II दर्ज करने का आदेश किया जावें। जबकि अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मोरली में खाता संख्या 115 खसरा संख्या 133 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म गै.मु.वेरा भूमि श्री मीठाराम पुत्र श्री नाथाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी दर्ज है। सेटलमेन्ट के वक्त से उक्त आराजी की किस्म गै. मु.वेरा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं उक्त भूमि पर आज से करीब दस वर्ष पूर्व तक मिट्टी का कच्चा कुंआ स्थित था, जो अत्यधिक बारिश के कारण जर्जर हो जाने से ढह गया, जिसे खातेदार द्वारा पूर्ण रूप से भरवा दिया गया है। वर्तमान समय में मौके पर समतल सपाट भूमि है एवं कुंए के किसी प्रकार के कोई निशानात यथा खड्डा आदि नहीं है व उक्त भूमि वर्तमान में कृषि कार्य हेतु काम में ली जा रही है।

....पेज तीन पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

(5) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रार्थी श्री गीठालाल पुत्र श्री नाथाराम की ग्राम मोरली, पटवार हल्का मोरली तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के वर्तमान खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 112 में खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वेरा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि मौजा मोरली पटवार हल्का मोरली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 112 में स्थित खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि की किस्म गै.मु. वेरा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जबकि उक्त खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि में कभी भी कोई वेरा नहीं रहा है और ना ही कभी वेरा के रूप में प्रयोग हुआ है। केवल मात्र राजस्व अधिकारियों की त्रुटिवश उक्त खसरा की किस्म वेरा दर्ज की गई है, जबकि प्रार्थी उक्त खसरा संख्या 133 के रकबा 0.1052 हैक्टेयर में खेती के रूप में काश्त करते आ रहे है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाव का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि मौजा मोरली पटवार हल्का मोरली तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 133 की भूमि की किस्म सेटलमेन्ट के वक्त से ही राजस्व रेकर्ड में गै.मु.वेरा दर्ज है तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076–2079 के अनुसार भी उक्त विवादित भूमि की किस्म गै.मु.वेरा दर्ज है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी तहसीलदार शिवगंज द्वारा भी अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि मौजा मोरली के खसरा संख्या 133 की भूमि पर आज से करीब दस वर्ष पूर्व तक मिट्टी का कच्चा कुंआ स्थित था, जो अत्यधिक बारिश के कारण जर्जर हो जाने से ढह गया, जिसे खातेदार द्वारा पूर्ण रूप से भरवा दिया गया है और वर्तमान समय में मौके पर समतल सपाट भूमि है एवं कुंए के किसी प्रकार के कोई निशानात यथा खड्डा आदि नहीं है व उक्त भूमि वर्तमान में कृषि कार्य हेतु काम में ली जा रही है। इसके अलावा पटवार हल्का मोरली द्वारा दिनांक 09.05.2025 को तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि मौजा मोरली के उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 133 की भूमि पर पूर्व में मिट्टी का कुंआ था, जो अत्यधिक बारिश से जर्जर हो जाने से करीब दस पूर्व ढह गया था, जिसे खातेदार द्वारा मिट्टी भरवाकर बन्द करवा दिया गया। वर्तमान में उक्त भूमि समतल व सपाट है तथा कृषि कार्य हेतु काम में ली जा रही है तथा वर्तमान में मौके पर कुंए के किसी प्रकार के कोई निशानात मौजूद नहीं है।

चूंकि मौजा मोरली पटवार हल्का मोरली तहसील शिवगंज की उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 133 की भूमि की किस्म सेटलमेन्ट के वक्त से ही राजस्व रेकर्ड में गै.मु. वेरा दर्ज है तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076–2079 के अनुसार भी उक्त विवादित भूमि की किस्म गै.मु.वेरा दर्ज है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी ऐसा किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि उपरोक्त वर्णित भूमि सेटलमेन्ट के वक्त से ही कृषि प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही थी। पटवारी हल्का मोरली के रिपोर्ट के अनुसार भी उपरोक्त वर्णित भूमि पर मिट्टी का कच्चा कुंआ स्थित था, जो अत्यधिक बारिश होने से जर्जर हो गया।

....पेज चार पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाव एवं पटवार हल्का मोरली द्वारा तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मौजा मोरली पटवार हल्का मोरली तहसील शिवगंज की उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 133 कुल रकबा 0.1052 हैक्टेयर की भूमि की किस्म सेटलमेन्ट के वक्त से ही राजस्व रेकर्ड में गै.मु.वेरा दर्ज है तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076–2079 के अनुसार भी उक्त विवादित भूमि की किस्म गै.मु.वेरा दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में उसकी किस्म परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner